



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 517 राँची, सोमवार, 6 भाद्र, 1945 (श०)
28 अगस्त, 2023 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना
4 जुलाई, 2023

संख्या-08/FSL(07)-14/2016-3597--झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची के लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त के निर्धारण हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-5173, दिनांक-28.11.2012 द्वारा अधिसूचित "झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2012" (यथा संशोधित) के नियम-13(ii) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा कथित नियमावली में संशोधन हेतु निम्नलिखित संशोधन नियमावली गठित करते हैं-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

- (i) यह नियमावली "झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2023" कही जायेगी।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii) यह नियमावली इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. "झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) के नियम-4 (ख) (i) के प्रावधान को निम्नवत् प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

नियम-4 (ख) (i) प्रावधान	संशोधित प्रावधान
"अनिवार्य योग्यता:- अभ्यर्थियों को आयोग (झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग) में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा । उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति-रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा । परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।	"अनिवार्य योग्यता:- अभ्यर्थियों को आयोग (झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग) में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।"

2. "झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित)" इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष अंश यथावत् रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(वंदना दादेल),

सरकार के प्रधान सचिव ।
